न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 11/2021

प्रार्थी–

उम्मेदगिरी पुत्र शंकरगिरी जाति गोस्वामी निवासी देवका तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत राजडाल
2. चेलाराम पुत्र ईशराराम जाति सुथार निवासी देवका तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 22 दिनांक 29.11.2010 जो अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत राजडाल द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भजनलाल गोदारा, अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 11.02.2026

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत राजडाल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम राजडाल में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 22 दिनांक 29.11.2010 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 4365 वर्गफुट दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi

Date: 2026.03.07 12:17:19 IST

Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, बाड़मेर

करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत राजडाल का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी गांव देवका का मूल निवासी है तथा उसकी चल व अचल सम्पति ग्राम देवका में आई हुई है। मौजा देवका एन एच 68 से जुडता हुआ गांव है तथा एन एच 68 से गांव में प्रवेश करने वाले मार्ग (आम रास्ता) गली पर अवैध अतिक्रमण करते हुए गली को अपने भूखण्ड में मिलाकर विधिविरूद्ध जाकर एवं पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों, नियमों के विपरीत जाकर गली का विवादित पट्टा अपने नाम से जारी करवा दिया। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपने रहवासी परिसर के पश्चिम दिशा में अवस्थित गली पर छपरा बनाकर अवैध कब्जा किया। ग्राम पंचायत राजडाल ने अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा गलत जारी किया गया है जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं दूषित होने से निरस्त फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत राजडाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष मे पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 160 के प्रावधानो की कतई पालना नहीं की गई है, न तो विप्रार्थी द्वारा पट्टे के लिए कोई प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत मे पेश किया गया, न ही कोई प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। इसके साथ न ही आवेदन शुल्क, न ही नक्शा शुल्क, मौका रिपोर्ट का शुल्क जमा करवाया न ही तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट मंगवायी, न ही आपत्ति नोटिस जारी किया, न ही आपत्ति [illegible] चस्पा करवाया गया, न ही ग्राम पंचायत बलाई द्वारा कोई [illegible] पट्टे बाबत ग्राम पंचायत मे कोई प्रस्ताव लिया गया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा सरपंच हल्का से मिलावट कर नियमो के विरूद्ध जाकर अपने नाम से एक फर्जी पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

बनाया गया जिस पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर है और न ही सचिव के हस्ताक्षर है। अतः अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना किये बिना, नियमों की अनदेखी करते हुए पुराने कब्जे व रहवास का पट्टा विलेख जारी कर दिया हैं जो काबिल खारिज हैं।

5. अप्रार्थी सं. 2 के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि उक्त भूखण्ड अप्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का पट्टाशुदा हैं। अप्रार्थी के पक्ष में पुराने कब्जे के आधार पर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया हैं तथा आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत कार्यालय में सम्पन्न हुई हैं तथा रेकर्ड में संधारित किया गया था जो अब यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही हैं तो इसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है किन्तु पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के आधार पर उक्त पट्टा शुन्य और अकृत होना नहीं माना जा सकता हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के पट्टाशुदा भूखण्ड पर बेवजह दखलअंदाजी करने पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पुलिस थाना शिव में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसके साथ अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त पट्टा उपपंजीयक शिव में रजिस्ट्रर्ड करवाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एव आधारहीन होने से मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत राजडाल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम राजडाल में ग्राम पंचायत की आबादी ... पट्टा संख्या 22 दिनांक 29.11.2010 जारी किया गया ... क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 4365 वर्गफुट दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बाड़मेर

पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत राजडाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष मे पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 160 के प्रावधानो की कतई पालना नहीं की गई है, न तो विप्रार्थी द्वारा पट्टे के लिए कोई प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत मे पेश किया गया, न ही कोई प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा सरपंच हल्का से मिलावट कर नियमो के विरूद्ध जाकर अपने नाम से एक फर्जी पट्टा बनाया गया जिस पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर है और न ही सचिव के हस्ताक्षर है। अतः अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना किये बिना, नियमों की अनदेखी करते हुए पुराने कब्जे व रहवास का पट्टा विलेख जारी कर दिया हैं जो काबिल खारिज हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 का कथन है कि उक्त भूखण्ड अप्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का पट्टाशुदा हैं। अप्रार्थी के पक्ष में पुराने कब्जे के आधार पर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया हैं तथा आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत कार्यालय में सम्पन्न हुई हैं तथा रेकर्ड में संधारित किया गया था जो अब यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही हैं तो इसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है किन्तु पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के आधार पर उक्त पट्टा शुन्य और अकृत होना नहीं माना जा सकता हैं। इसके साथ ही अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त पट्टा उप पंजीयक शिव मे [illegible] करवाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी [illegible] एव आधारहीन होने से मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

7. हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रकट तथ्यों एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया जिसमें पाया जाता है कि उक्त पट्टा विलेख से सम्बन्धित ग्राम पंचायत राजडाल में अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 29.11.2010 एवं पुनः निष्पादन दिनांक 20.02.2013 से सम्बंधित कायम की गई मिसल व बैठक कार्यवाही रजिस्टर कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना प्रकट किया है केवल अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से एक पट्टा बनाया गया जिस पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर है और न ही सचिव के हस्ताक्षर है। इस प्रकार प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित है कि आलौच्य पट्टा जारी करने से संबंधित किसी प्रकार की पत्रावली संधारित नहीं की गई है न ही कोई विधिवत् प्रक्रिया अपनाई गई है, केवल आलौच्य पट्टा जारी कर उसे पंजीबद्ध कराया जाना प्रतीत होता है जो कि अवैध एवं अनियमित होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत राजडाल द्वारा जारी पट्टा सं. 22 दिनांक 29.11.2010 जारी करने की कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested